2017/00539

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11/2017

1 शिवपाल पुत्र मुख्तयार जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गोपीचन्द पुत्र मुख्यतार।
2 सुरेन्द्रपाल उर्फ सुन्दरपाल पुत्र मुख्यतार।
3 ईश्वर सिंह पुत्र मुख्यतार।
4 रंगलाल पुत्र मुख्यतार समस्त जाति अहीर निवासीगण कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

आवेदन पत्र बाबत न्यायालय अवमानना
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी

उपस्थिति :

1. श्री सुशील कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.11.2020

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 43/2012 बउनवानी शिवपाल बनाम गोपीचन्द में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.05.2012 की अवमानना पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 43/2012 बउनवानी शिवपाल बनाम गोपीचन्द में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.05.2012 की अवमानना पर अपीलांट द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने दिनांक 21.05.2012 को आवेदक का आवेदन पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिया गया। इस खारिज आदेश के विरूद्व आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.05.2012 को श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर/झुंझुनू के न्यायालय में अपील पेश की जो उनवानी शिवपाल बनाम गोपीचन्द आदि है जिसके मुकदमा नम्बर 43/2012 है। इस अपील के साथ आवेदक/अपीलार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 29.05.2012 को आदेश पारित किया गया। आदेशानुसार योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.05.2012 की कियान्विति को स्थगित फरमाते हुये मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। आदेश का प्रभावी भाग निम्न प्रकार है बहस बगौर समाअत की गई बाद अवलोकन न्यायहित में आगामी तारीख पेशी तक अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बुहाना का निर्णय दिनांक 21.05. 2012 की कियान्विति को स्थगित किया जाकर विवादित आराजी की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। रेस्पोडेंट के नोटिस जारी हो तहत की पत्रावली तलब हो दिनांक 26.06.2012 को पेश हो। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी फरमाये जाने के रोज पालना हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश की प्रति पेश की गई जिस पर हल्का पटवारी महेन्द्र सिंह को आदेश की पालना हेतु मौके पर भेजा जिस पर हल्का पटवारी महेन्द्र सिंह उसी रोज दिनांक 29.05.2012 को जिन्होनें मौके की रिपोर्ट की पालना करवाकर मौके की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की । रिपोर्ट के अनुसार आज दिनांक 29.05.2012 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार बुहाना के अपेक्षा अनुसार ग्राम कलाखरी स्थित खसरा नम्बर 254 रकबा 0.43 हैक्टेयर के मौके पर पहुंचा। मौके पर गोपीचन्द पुत्र मुख्तयार सिंह, कौम अहीर निवासी कलाखरी उपस्थित मिला जिसे तामीर कार्य न करने बाबत पाबन्द किया गया। आज दिनांक को कोई निर्माण कार्य नहीं होना पाया गया। पूर्व से 3 गुणा 60 फिट की दीवार का निर्माण है। फर्द लिखा पढ़। उपस्थित को पढ़कर सुना समझाकर हस्ताक्षर किये। इसके उपरान्त पुन पटवारी हल्का दिनांक 11.06.2012 को मौके पर गये एवं रिपोर्ट तैयार की। जिसके अनुसार आपके आदेश दिनांक 11.06.2012 की पालना में ग्राम कलाखरी के खसरा नम्बर 254 रकबा 0.43 हैक्टेयर को आज दिनांक 11.06.2012 को मौके पर पहूंचा। इस खसरा नम्बर की संयुक्त खातेदारी श्रीपाल, गोपीचन्द, सुन्दरपाल, ईश्वर, रंगलाल पिता मुख्तयार, प्रेम, बिरमा, मुन्नी पुत्रियां मुख्तयार कौम अहीर सा. देह के नाम दर्ज है। मौके पर गोपीचन्द व रंगलाल पिता मुख्तयार ने इससे उतर की सीमा पर 3 फुट से उपर 60 फुट लम्बाई व 2 फुट ऊंचाई का डन्डा (दिवार) का निर्माण किया है। इसको आगामी आदेश तक निर्माण कार्य नहीं करने व चालू निर्माण को आगे नहीं करने हेतु पाबन्द किया एक बार तो निर्माण कार्य बन्द कर दिया तथा आश्वासन दिया कि आगामी आदेश के बिना निर्माण कार्य नहीं करेगें। पुन निर्माण कार्य करने पर दिनांक 12.06.2012 को नायब तहसीलदार की मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जिसके अनुसार मौके पर आज दिनांक को उक्त खसरा नम्बर में 5 फुट उंची व 60 फुट लम्बी दिवार का निर्माण किया जाकर लोहे के दो गेट लगाये हुये है। गोपीचन्द को बुलाने भेजा गया पर नहीं मिला। फर्द लिख पढ़ा। उपस्थित ने पढ़ सुन समझकर हस्ताक्षर किये। आवेदनकर्ता ने कथन किया है कि आवेदन पत्र बाबत न्यायालय अवमानना सेवामें पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 29.05.2012 जो दिनांक 09.02.2017 तक पेशी दर पेशी बढ़ाया गया है तथा आगामी पेशी दिनांक 09.03.2017 एवं 07.06.2017 तक बढ़ाया गया स्थगन आदेश की अवमानना करने के अपराध में उन्हें तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित फरमाया जावें तथा विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 29.05.2012 के पश्चात किया गया निर्माण कार्य तीन फुट से ऊपर की ऊंचाई से 2 फीट अधिक ऊंचाई की दीवार जो 60 फीट लम्बाई तक की गई है तथा चढाये गये दो

लोहे के गेट एवं हाल खसरा नम्बर 254 में निर्माण करवाये जा रहे मकानात एवं उतरी एवं पश्चिमी तरफ नवनिर्मित दीवारों को तुड़वाया जाकर न्यायालय के उपरोक्त वर्णित स्थगन आदेश की पालना करवायी जावें। चूंकि विपक्षीगण द्वारा अवमानना का कृत्य अभी भी जारी है इस कारण विवादित भूमि को कुर्क किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय की अपील संख्या 43/2012 बउनवानी शिवपाल बनाम गोपीचन्द की आदेशिका दिनांक 29.05.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया था जो आज दिनांक तक प्रभावी है।

प्रकरण में अवमानना प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत पटवारी हल्का महेन्द्र सिंह की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2012 के अवलोकन से इस तिथि को पूर्व दिशा में 3 गुणा 60 फिट की दिवार का निर्माण होना एवं मौके पर गोपीचन्द को तामीर कार्य न करने बाबत पाबन्द किये जाने का अंकन है। पुन पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2012 में अंकन है कि मौके पर गोपीचन्द व रंगलाल पिता मुख्तयार ने इससे उतर की सीमा पर 3 फुट से उपर 60 फुट लम्बाई व 2 फुट ऊंचाई का डन्डा (दिवार) का निर्माण किया है। इसको आगामी आदेश तक निर्माण कार्य नहीं करने व चालू निर्माण को आगे नहीं करने हेतु पाबन्द किया एक बार तो निर्माण कार्य बन्द कर दिया तथा आश्वासन दिया कि आगामी आदेश के बिना निर्माण कार्य नहीं करेगें। इसके उपरान्त पुन नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2012 में अंकन है कि मौके पर आज दिनांक को उक्त खसरा नम्बर में 5 फुट उंची व 60 फुट लम्बी दिवार का निर्माण किया जाकर लोहे के दो गेट लगाये हुये है। गोपीचन्द को बुलाने भेजा गया पर नहीं मिला। इन मौका रिपोर्ट से दिनांक 29.05.2012 को पाबन्द किये जाने के उपरान्त भी विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 29.05.2012 की अवमानना कर निर्माण कार्य किया जाना स्पष्ट प्रमाणित है। इस न्यायालय के द्वारा जारी समन की तामील के उपरान्त भी विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं शपथ पत्र से विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 29.05.2012 की अवमानना कर निर्माण कार्य किया जाना स्पष्ट प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी में प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुये तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 29.05.2012 की मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का बुहाना/कलाखरी के अनुसार इस तिथि के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा किये गये निर्माण कार्य को इस निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर हटाने के लिये विपक्षीगण को पाबन्द करें। नियत समय तक निर्माण कार्य नही हटाये जाने पर विवादित भूमि को रिसिवरी (कब्जे राज) में लेने के लिये अधिकृत किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर